

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
विधायी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
उ०प्र० राज्य विधि आयोग,
लखनऊ ।

विधायी अनुभाग—1

लखनऊ : दिनांक ३० अक्टूबर, 2018

विषय:- सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत न्यायमूर्ति (से०नि०)श्री आदित्य नाथ मित्तल, मा० अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधि आयोग को माननीय मुख्य न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय के समान संशोधित भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, मा० अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधि आयोग के पत्रांक 441/रा०वि०आ०/अधिष्ठान/2018, दिनांक 20—07—2018 तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद के पत्रांक—जी०ई०(एच)/५८६, दिनांक 10—07—2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि विधायी अनुभाग—1 के आदेश संख्या—53/79—वि—1—2014—33/2013, दिनांक 20 जनवरी, 2014 तथा आदेश संख्या—1482/79—वि—1—2016—33/2013, दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 के अनुक्रम में निर्गत विधायी अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—1780/79—वि—1—17—33/13, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 एवं संख्या—1107/79—वि—1—18—33/13, दिनांक 26 जून, 2018 के द्वारा, मा० अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधि आयोग की सेवा—शर्ते निर्गत की गई हैं।

3— विधायी अनुभाग—1 द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश संख्या—1780/79—वि—1—17—33/13, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के अनुसार मा० न्यायमूर्ति(से०नि०) श्री आदित्य नाथ मित्तल मा० अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधि आयोग को नियुक्ति की अवधि में मा० मुख्य न्यायाधीश, मा०उच्च न्यायालय, को देय वेतन व मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते प्रतिमाह पाने का अधिकार होगा।

4— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० न्यायमूर्ति(से०नि०) श्री आदित्य नाथ मित्तल, मा० अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधि आयोग को भारत सरकार के आदेश संख्या—L-11017/1/2016-Jus.I दिनांक—30 जनवरी, 2018 के प्रस्तर—2 के उपप्रस्तर—2.1.3 एवं 2.1.4 में दी गई व्यवस्थानुसार अतिथि सत्कार भत्ता रूपये 34,000/- प्रतिमाह(दिनांक 22—09—2017 से अनुमन्य) तथा मकान किराया भत्ता रूपये 60,000/-प्रतिमाह जो मा० अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधि आयोग के मूल वेतन रूपये 2,50,000/-के 24 प्रतिशत के बराबर है(सरकारी आवास उपलब्ध न होने की अवधि तक) एवं शासनादेश संख्या—04/2018/जी—1—103/दस—2018—227/2008, दिनांक 18—07—2018 के क्रम में नगर प्रतिकर भत्ता रु० 900/-प्रतिमाह अनुमन्य है।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—वित्त-ई-12-1630 / दस-2018,
दिनांक-29-10-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1922(1) / 79—वि—1—2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2— प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 5— कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 6— महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 7— निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 8— अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 9— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 10— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या—जी0ई0(एच) / 586, दिनांक 10-07-2018 के सन्दर्भ में।
- 11— वित्त (सामान्य) अनुभाग—3
- 12— वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग—12
- 13— वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग—1/2
- 14— वित्त (सामान्य)अनुभाग—1
- 15— निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ।
- 16— न्याय अनुभाग—9(बजट)
- 17— गोपन अनुभाग—1
- 18— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रविन्द्र
(अरविन्द कुमार मिश्रा-II)
विशेष सचिव।